न्यायालय :– द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश बिजावर जिला छतरपुर, म0प्र0
(समक्ष– मनीष शर्मा)

Registration no-01A/2019
Filing No-24/2019
CNR NO-MP16050000932019
Filing Date-02.02.2019

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर म0प्र0
2– मुख्य वनरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0
3– वनरक्षक वृत्त सागर रोड छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0
4– वन परिक्षेत्र अधिकारी बकस्वाहा जिला छतरपुर म0प्र0

––––––––––अपीलार्थीगण

बनाम

1– श्रीमति ममतावाई पत्नी वल्देव प्रसाद अहीर आयु 43 वर्ष,
निवासी ग्राम तेईयामार तहसील बकस्वाहा,
जिला छतरपुर म0प्र0 ––––––उत्तरवादी

––

न्यायालयः–प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 श्रृख्ला न्यायालय बकस्वाहा जिला छतरपुर श्री श्रीकृष्ण बुखारिया के न्यायालय के नियमित व्यवहार वाद (Civil Suit No 06A/2016) में घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 29.11.2017 से उद्‌भूत नियमित व्यवहार अपील

––

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 30.08.2019 को घोषित किया गया)

1. यह प्रथम नियमित व्यवहार अपील अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 श्रृख्ला न्यायालय बकस्वाहा जिला छतरपुर, (श्री श्रीकृष्ण बुखारिया) के न्यायालय के व्यवहार वाद कमांक 06ए/2016 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांकित 29.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार ग्राम जरा तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर में स्थित भूमि खसरा नम्वर 476 रकवा 0. 930 हेक्टर पटवारी हल्का नं. 76 (जिसे आगे विवादित संपत्ति के नाम से संबोधित किया जायेगा) पर वादी का आधिपत्य होना एवं किसी प्रकार के हस्ताक्षेप से प्रतिवादी को निषेधित किये जाने से व्यथित होकर पेश की गई है ।

2. सुविधा की दृष्टि से अपीलार्थीगण को आगे प्रतिवादीगण एवं प्रति अपीलार्थी को वादी के नाम से संबोधित किया जायेगा।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा यह दावा पेश किया कि विवादित भूमि का पूर्व भूमिस्वामी रामदयाल पुत्र आनंदी अहीर था जिसके पूर्व मे नाला, पश्चिम मे वन विभाग की भूमि, उत्तर मे वनविभाग की भूमि और दक्षिण मे गुड्डीवाई की कृषि भूमि सर्वे क्र. 477 स्थित है । पहले भूमि पर रामदयाल काबिज था जिस पर अब वादी काबिज है । विवादित भूमि एवं अन्य भूमियो को लेकर म0प्र0 राज्य द्वारा वनमण्डलाधिकारी के साथ रामदयाल एवं अन्य के विरूद्व न्यायालय वन विस्थापन अधिकारी छतरपुर के समक्ष मामला पेश किया था । जिसका वन विस्थापन प्रकरण क्रमांक 435/1974 है । उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.75 को पारित निर्णय मे सर्वे क्र. 476 की भूमि को वनसीमा रेखा से बाहर रखा गया था तथा वन अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत गठित किये गये आरक्षित वन से भी वाहर रखा गया था । इस प्रकार उक्त सर्वे क्रमांक पूर्व से ही राजस्व विभाग की भूमि मे है और इसका उल्लेख भी राजस्व अभिलेखो मे दर्ज है । दिनांक 22.11.1991 को 9,000/—रू. प्रतिफल देकर वादी ने भूमि रामदयाल से क्रम की है और नामातरण कराया है तभी से वह भूमि पर काबिज है और खेती कर रहा है । दिनांक 02 अक्टूवर 2014 को वन परिक्षेत्र अधिकारी बकस्वाहा ने भूमि पर आकर वादी को भूमि जोतने से मना किया और खेतो पर जाने देने से रोक दिया, जिससे खेती का नुकसान हो रहा है । इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई थी ।

4. प्रतिवादी क्र. 3 ने जबाबदावा मे व्यक्त किया है कि विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है जो विक्रम पत्र निष्पादित किया गया है वह पूरी तरह फर्जी है तथा राजस्व विभाग की मिलीभगत के कारण विना किसी स्वामित्व व आधिपत्य के वाद पत्र पेश किया गया है । वादी वन विभाग की भूमि जोत रहा था जिसे प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा मना किया गया और वह वन विभाग की भूमि को अपने हक मे प्राप्त करना चाहता है इसलिए दावा पेश किया है । म0प्र0 शासन, वन भूमि तथा वन विधान मे लिखे तथ्य कि वन भूमि अधिनियम की धारा 20 मे लिखित तथ्य मे वन भूमि को मात्र विशेष अध्यादेश द्वारा ही अंतरित कर सकता है, अन्य किसी के द्वारा किया गया अंतरण पूर्णत

: अवैध है । सिबिल न्यायालय को वन विभाग की भूमि के सबंध मे दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है । विशेष कथन मे व्यक्त किया है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 मे स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि प्रतिस्थापित वन घोषित करने की अधिसूचना जिसमे स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि कोई रिपोर्ट आयोजन या पंजी या उसमे किसी प्रविष्टी के सबंध मे व्यवहार न्यायालय मे दावा प्रस्तुत नही किया जावेगा, जब तक कि राज्य शासन यह प्रमाणित न कर दे कि कथित रिपोर्ट कार्ययोजना व पंजी कथित शासन के प्राधिकार के अंतर्गत सविलयन तिथि 01.11.56 के पूर्व तैयार किया गया है । धारा 20 के स्पष्टीकरण क्रमांक 4 मे यह लिखा है कि सविलयन यदि विवादित भूमि का 01.11.1956 के पूर्व से स्वत्व, आधिपत्य विद्वमान है तो उक्त भूमि वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अनुरूप निर्गमित होगी, अन्यथा सम्पूर्ण वन भूमि मानी जावेगी। दावा प्रथम दृष्टीय चलने योग्य नही है । वन अधिकार रजिस्ट्र बी.सी.आर पंजी मे विवादित भूमि के खसरे आज दिनांक को भी वन विभाग की भूमि मे अंकित रकवा है जो वन भूमि के कक्ष क्रमांक पी. 284 व 286 तोओ सीट मे निहित है । राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एक–5–38–87–10–03(18) दिनांक 21.03.1957 मे जरा वनखण्ड रकवा 8571.52 एकड़ वनभूमि अधिसूचित की गई थी, खसरा अनुसार विवरण बी.सी.आर पंजी मे उल्लेखित है । शेष प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबाबदावा पेश नही किया गया है । जिसके आधार पर विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा 05 वाद प्रश्न निर्मित किये और विवेचना उपरान्त उनके निष्कर्ष अनुसार वादी के हित मे विवादित भूमि के सबंध मे स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है ।

5. अपील के मुख्य आधार यह लिये गये है कि निर्णय दिनांक 30.11.17 की जानकारी दिनांक 09.01.2018 को हुई थी, जब वादी ने कहां था कि दावा उसके पक्ष मे डिक्री हो गया है जिसके पश्चात नकल प्राप्त कर वरिष्ठ अधिकारियो से अनुमति लेकर अपील पेश की गई है । प्रडी0 1 लगायत 4 के बी.सी.आर पंजी, गजक नोटीफिकेसन, नक्शा भी पेश किया गया है जिससे यह दर्शित होता है कि विवादित भूमि म0प्र0 शासन की भूमि है और आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि है किंतु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया और निर्णय के पद क्रमांक 6 मे लिखा है कि विक्रम पत्र को चुनौती नही दी गई है । जबाब दावे मे स्पष्ट उल्लेखित किया गया

है कि विक्रय पत्र फर्जी और अवैधानिक है । यह भी उल्लेखित किया गया है कि नामातरण को चुनौती नही दी गई है परंतु नामांतरण स्वत्व का आधार नही है । वादी ने वर्ष 1956 से 1974 तक के खसरो की प्रतिया पेश नही की है जिसमे अपीलार्थीगण के नाम भूमि दर्ज थी, तथ्य को छुपाया गया है । भूमि वादीगण के नाम पर थी यह प्रमाणित करने का भार वादी पर था जिस वात पर विचारण न्यायालय ने ध्यान नही दिया है । विवादित भूमि पर वादी का कब्जा भी नही है जिस बात पर भी ध्यान नही दिया गया है । उचित मूल्यांकन भी नही किया गया है । दावा निरस्त किया जावे ।

6. वादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि अपील स्वीकार योग्य नही है । विचारण न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए । साथ ही आदेश 41 नियम 27 सहपठित आदेश 11 नियम 12 व आदेश 16 नियम 6 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन दिनांक 8.05.2019 को पेश किया है जिसमे व्यक्त किया है कि वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.75 की फोटोकांफी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी उसके सबंध मे प्रकरण क्रमांक 435/1974 का कोई रिकार्ड संधारित नही है । इसलिए उक्त आदेश को द्वितीय साक्ष्य के रूप मे पढ़ा जावे या मूल आदेश तलब किया जावे । इसके अतिरिक्त एक अन्य आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांकित 19.06.19 का पेश किया है जिसके अनुसार राजस्व अभिलेख के खसरे–खतौनी की प्रतियां सम्वत 2014 से वर्ष 1991–92 तक विवादित भूमि के सबंध मे वादी पेश करना चाहता है । इसके अतिरिक्त एक अन्य आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 21.08.2019 का भी पेश किया है जिसके अनुसार प्रकरण क्रमांक 435/1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया था जिसके सबंध मे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त प्रकरण प्रभार मे प्राप्त नही हुआ था इसलिए उसकी नकल तैयार कर नही दी जा सकती है । उक्त प्रतिलिपि आवेदन के सबंध मे तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश की मूल प्रति प्रस्तुत की है ।

7. वादी की ओर से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन दिनांक 08.05.2019 का पेश किया गया है । उसके उत्तर मे प्रतिवादीगण का कहना है कि भूमि वन विभाग की है । तथ्यो को तोड़–मरोरकर पेश किया गया है । केवल दावे को

चालू रखने के उद्देश्य से आवेदन पेश किया है जो स्वीकार योग्य नही है । इसके अतिरिक्त आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के सबंध मे प्रस्तुत अन्य आवेदन के सबंध मे भी व्यक्त किया गया कि दस्तावेजो को विलम्व से प्रस्तुत किये जाने का कोई उचित कारण नही दर्शाया गया है । दस्तावेज जानवूझकर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नही किये गये है, आवेदन निरस्त किया जावे ।

8. अपील पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये अभिलेख पर उपलब्ध साम्रगी का परिशीलन किया गया।

9. निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है।

1. क्या आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत वादी जिन दस्तावेजो को प्रस्तुत करना चाहता है और जो दस्तावेज तलब करना चाहता है वह स्वीकार योग्य है ?

2. क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं जयपत्र दिनांकित 17.08.2016 तथ्य एवं विधि सम्मत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है?

<u>//(सकारण निष्कर्ष)//</u>

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक–1</u>

10. वादी ममताबाई की ओर से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत सवंत 2014 से वर्ष 1991–1992 की खसरे, खतौनी की सत्यापित प्रतियां रिकॉर्ड पर लिये जाने एवं उसके संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य दिये जाने के अवसर की मांग की है। साथ ही यह भी व्यक्त किया गया है कि वन विस्थापन अधिकारी द्वारा जो वर्ष 1975 में प्रकरण कमांक 435/1974 में आदेश पारित किया गया था उक्त आदेश से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया जावे, क्योंकि उनके द्वारा रिकॉर्ड की मांग की गई है परंतु रिकॉर्ड उपलब्ध न होना बताया गया है। इसके संबंध में जो नकल प्रदान किये जाने का आवेदन पेश किया गया था। उसमें तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की प्रति पेश की है।

11. जो दस्तावेज वादी अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहता है। उसमें

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश अनुसार उक्त प्रकरण प्रभार में प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये नकल तैयार नहीं की गई है, यह उल्लेखित किया गया है। वादी द्वारा प्रकरण कमांक 435/1974 के संबंध में आदेश दिनांक 25.04.1975 का मूल आदेश या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है और प्रकरण में जो उक्त आदेश से संबंधित छायाप्रति प्रस्तुत की गई है उसके संबंध में प्रतिवादी ने अभिवचनों में उक्त आदेश अवैध एवं फर्जी तौर पर तैयार कराना बताया है। सत्यापित प्रतिलिपि की फोटों प्रतिलिपि को साक्ष्य में ग्राह नहीं किया जा सकता। उक्त आदेश के संबंध में द्वितीय साक्ष्य दिये जाने हेतु भी कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि उक्त आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्व में मौजूद थी परंतु उक्त सत्यापित प्रति को वादी द्वारा क्यों पेश नहीं किया गया इसका कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। उक्त आदेश के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत कोई गैजेट नोटिफिकेशन किया गया हो यह भी दर्शित नहीं होता है, इसलिये उक्त आदेश के संबंध में जो 435/1974 को प्रकरण होना वादी द्वारा बताया गया है उस प्रकरण को तलब किया जाने या उक्त आदेश के संबंध में प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर कोई निष्कर्ष दिये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है इसलिये इस संबंधम` वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

12. जहां तक संवत 2014 से वर्ष 1991—1992 के खसरे खतौनी की प्रतियां अभिलेख पर लेकर उनके संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान किये जाने की अनुमति का प्रश्न है तो आदेश 41 नियम 27 सीपीसी अपने आप में यह बताता है कि अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी हो पेश करने के हकदार नहीं होंगे। इस नियम के 3 अपवाद बताये गये है। पहला जिस न्यायालय द्वारा डिकी पारित की गई है उस न्यायालय ने साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर दिया था। इस प्रकरण में वादी ने संवत 2014 से लेकर 1991—1992 तक के खसरे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये थे। इसलिये उक्त अपवाद के अंतर्गत वादी का मामला नहीं आता है। इसके अतिरिक्त दूसरा अपवाद यह है कि वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है वह यह सिद्ध कर देता है कि सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उस समय पेश नहीं कर सकता था जब डिकी पारित की गई थी, जिसके

विरूद्ध अपील पेश की गई है। वादी का मूल रूप से दावा यह है कि उसने विवादित भूमि रामदयाल के क्रय की थी तो ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि राजस्व रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज है। खसरे की प्रतियां जो प्राप्त की गई है। वह खसरे दावा प्रस्तुत करने से पूर्व के खसरे है और उक्त सत्य प्रतिलिपियां पूर्व में भी प्राप्त की जा सकती है। दावे के विचारण के दौरान उक्त सत्य प्रतिलिपियां क्यों नहीं पेश की गई इसका भी कोई कारण नहीं दशार्या गया है। इस प्रकार दूसरे अपवाद के अंतर्गत भी वादी का मामला नहीं आता है। जहां तक तीसरे अपवाद का प्रश्न है तो उसके अनुसार अपील न्यायालय किसी दस्तावेज को पेश किये जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिये या अन्य सारवान हेतुक के लिये करे तो अपील न्यायालय ऐसी साक्ष्य का लिये जाने या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा किया जाना अनुज्ञात कर सकता है।

13. अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार किये जाते समय सही मापदंड यह है कि न्यायालय को यह देखा जाना चाहिये कि क्या अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार किये बिना अपील न्यायालय निर्णय दे सकता है ? इस संबंध में **झंगलू बनाम जूलाराम एआईआर 1986 मध्यप्रदेश (3)** का न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस नियम के लागू होने का सही अवसर तब होता है जब अभिलेख पर जैसी साक्ष्य है उसकी परीक्षा करने पर उसमें कोई अंत निहित कमी या दोष प्रकट हो जाये, न कि न्यायालय के बाहर की ऐसी साक्ष्य का पता चले जिसे आयात किया जाना चाहिये। यह नियम यह नही बताता है कि जो पक्षकार विचारण न्यायालय में असफल रहा हो उसे अपने मामले की कमजोर बातों को पूरा करके अपील न्यायालय में उन कमियों को दूर करने दिये जाये। इस संबध में उत्तरप्रदेश राज्य बनाम मनगोदलाल एआईआर 1957 एससी 912 का न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है।

14. उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकारश में यदि इस प्रकरण को देखा जावे तो वादी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय किया जाना बताया है और विक्रय पत्र के पश्चात वादी के हित में नामांतरण होना भी बताया है और नामांतरण के पश्चात वादी के राजस्व अभिलेख की प्रतियां भी पेश की है। जिन पर विचार करते हुये वादी

के हित में विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है। ऐसी दशा में वादी किन कारणों पर विक्रय पत्र निष्पादित होने के पूर्व के दस्तावेज प्रस्तुत कर अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है यह दर्शित नहीं होता है। न्यायालय के मत में भी उपरोक्त अतिरिक्त साक्ष्य के बिना भी मामले का उचित निराकरण किया जा सकता है तथा अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता इस मामले में नहीं है। इसलिये संवत 2014 से वर्ष 1991—1992 के जो खसरे की प्रतियां वादी प्रस्तुत कर अतिरिक्त साक्ष्य देना चाहता है। उक्त आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये उसे निरस्त किया जाता है। इस रूप में विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

15. धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत प्रथम अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथम अपील पक्षकार का एक महत्वपूर्ण अधिकार है और प्रथम अपील में अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार काफी विस्तृत है। जिसे विचारण न्यायालय के बराबर का ही माना जा सकता है। प्रथम अपील के दौरान अपीली न्यायालय समस्त तथ्यों एवं विधि के बिंदूओं पर अपना निष्कर्ष दे सकता है। यह प्रथम अपील न्यायालय का दायित्व है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना करे और स्वयं का निष्कर्ष प्रदान करे और उसके आधार पर कारण लिखते हुये विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पुष्ट करे या उसे परिवर्तित करे। इस संबंध में **सी. वेंकटास्वामी विरूद्ध एच.एन. शिवन्ना(मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य (2018) 1 एससीसी 604** का न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है।

16. वादी की ओर से ममता यादव (ब.सा. 1) ने अपने कथन कराये है जिसने बताया है कि विवादित भूमि पर उसका हक व आधिपत्य है और उसक नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। विवादित भूमि उसने रामदयाल यादव पुत्र अंनदी यादव से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 22.11.1991 को क्रय की थी और नामांतरण कराया था तभी से वह भूमि पर काबिज है और खेती कर रही है। विवादित भूमि और उसके अतिरिक्त अन्य भूमि के संबंध में शासन द्वारा रामदयाल व अन्य के विरूद्ध वन विस्थापन अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रकरण पेश किया गया था जिसमें वन विस्थापन प्रकरण क्रमांक 435/1974 में न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.1975

को निर्णय पारित कर खसरा क्रमांक 476 वन रेखा सीमा से बाहर रखा गया था तथा भारतीय वन अधिनियम के धारा 20 के अंतर्गत गठन किया गया। आरक्षित वन से भी उक्त सर्वे नंबर को बाहर रखा गया इसलिये उक्त खसरा नंबर 476 राजस्व विभाग का बना रहा और राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा। वन अधिकारी द्वारा, वादी द्वारा कृषि कार्य किये जाते समय उसने दावा उत्पन्न किया है। इसलिये केवल स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में दावा पेश किया गया है। भैयन (ब.सा. 12), वृंदावन (ब.सा. 3) ने भी वादिया का कब्जा विवादित भूमि पर होना बताया है और कहा है कि भूमि पर पहले रामदयाल का कब्जा था जिसके बाद वादिया ने भूमि क्रय की है और तब से वादिया का भूमि पर कब्जा चला आ रहा है।

17.   वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे वर्ष 1991 में रामदयाल से जो भूमि क्रय की गई थी उसका विक्रय पत्र प्रदर्श पी 1, नामांतरण पंजी प्रदर्श पी 2, भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी 3 एवं उसके पश्चात के खसरे खतौनी प्रदर्श पी 4 लगायत 6 और धारा 80 सीपीसी के अंतर्गत जो नोटिस भेजा गया था उसकी प्रति की प्राप्ति अभिस्वीकृति एवं डाक रशीद प्रदर्श पी 7 लगायत 9 पेश की गई है।

18.   विपरीत में प्रतिवादी क्रमांक 3 वन विभाग की ओर से आर.एन पटैल वन परिक्षेत्र अधिकारी (प्र.सा. 1) के कथन कराये गये है। जिसने अपने कथनों में बताया है कि विवादित भूमि वन भूमि है। उक्त भूमि वन विभाग की डी.सी.आर. (District Compatment Register) में सम्पूर्ण रकबा 2.29 एकड़ भूमि दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण रकबा वन विभाग के कक्ष क्रमांक 284 एवं 286 में स्थित है। जिस संबंध में टी.पी. शीट में भी उल्लेख है। विक्रय पत्र राजस्व अधिकारियों से मिलकर षडयंत्र पूर्वक गलत तरीके से निष्पादित कराया है और गलत तरीके से ही नामांतरण करा लिया है। वादिया का पहले कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रकरण क्रमांक 435/1974 न तो कभी पेश किया गया न ही उस प्रकरण में वन विस्थापन अधिकारी द्वारा विवादित भूमि को वन परिक्षेत्र से बाहर माना गया है। जो वन विस्थापन की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें वन विस्थापन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किये गये है। उक्त छाया प्रति फर्जी एवं बनावटी है। विवादित भूमि आरक्षित वन क्षेत्र होकर वन भूमि है। जिसमें जंगली जानवर रहते है और जल स्रोत भी है। भूमि में विभिन्न प्रजातियों के वन वृक्ष

महुआ, कोहा, उमर, सागौन आदि भी खड़े है और वादिया के पति द्वारा कटाई की जा रही है। जिस संबंध में सीमांकन हेतु तहसीलदार बकस्वाहा को दिनांक 11.04.2017 को आवेदन भी दिया था और शिकायत पर जांच उपरांत एवं पंचनामा कार्यवाही उपरांत पत्र भी लिखा गया। विवादित भूमि वर्ष 1959 से 1974 तक मध्यप्रदेश शासन में दर्ज रही है। जिसके उपरांत वन भूमि होकर वन आरक्षित क्षेत्र हो गई है। बिना सीमांकन कराये वादी अवैध रूप से अपना कब्जा होना बताता है। समर्थन में डी.सी.आर पंजी प्रदर्श डी 1, वर्किंग प्लान संबंधी सूचना प्रदर्श डी 2, मध्यप्रदेश राज्य राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 1997 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श डी 3 और ट्रेस नक्शा (टी.सी.) प्रदर्श डी 4 पेश किया है। इसके अतिरिक्त काशीराम यादव (प्र.सा. 2) ने भी विवादित भूमि वन भूमि होना बताया है और कहा है कि उक्त भूमि पर जंगली जानवर भी रहे है और सागौन और अन्य प्रजाति के वृक्ष भी लगे हुये है।

19. तर्क के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि वादी द्वारा केवल स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने के संबंध में दावा पेश किया गया है जबकि उसका स्वामित्व ही विवादित है। इसलिये उसे स्वामित्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दोनों पाने के संबंध में दावा पेश करना चाहिये था जो उसके द्वारा नहीं किया गया है। इसलिये प्रथम दृष्टि यह दावा निरस्त किया जाना चाहिये था। साथ ही यह भी व्यक्त किया गया है कि विचारण न्यायालय ने सत्यापित प्रतिलिपि की फोटो कॉपी प्रतिलिपित के आधार पर जो निष्कर्ष दिये है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विवादित भूमि वन भूमि है और वन भूमि के संबंध में यदि कोई अवैध विक्रय पत्र निष्पादित होता है तो उस विक्रय पत्र के आधार पर वादी स्वामी नहीं हो जाता।

20. विपरीत में उत्तरवादी/वादी के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि विवादित भूमि पर शुरू से रामदयाल का कब्जा था। रामदयाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था और रामदयाल से वादी ने भूमि विधिवत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी। जिसके उपरांत उसका नामांतरण भी हुआ है और नामांतरण के पश्चात से आज दिनांक तक वादी का ही नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रहा है। अब तक न तो विक्रय पत्र को कोई चुनौती दी गई थी न ही नामांतरण को कोई चुनौती दी गई थी। वादी का स्पष्ट स्वामित्व मौजूद था। इसलिये केवल स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु

दावा पेश किया गया है। कब्जे का सम्मान किया जाना चाहिये। कब्जे के संबंध में उनके द्वारा **<u>रामेगोदा विरूद्ध एम.वीरप्पा नायडू 2004 (2) एमपीडब्लयूएन 25</u>** का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि कब्जे की सुरक्षा के लिये विधि को उपबंध करना चाहिये। विधि कब्जे का सम्मान करती है भले ी उसके समर्थ में हक नहीं हो और यदि हक साबित नहीं होता है तब भी वाद व्यादेश के बारे में विनिश्चित किया जा सकता है और हक का प्रश्न छोड़ा जा सकता है। उपरोक्त न्याय दृष्टांत का अवलोकन किया गया एवं मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया।

21. अचल सम्पत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा कब दी जा सकती है इस संबध में **<u>अंतुला सुधाकर विरूद्ध पी.राची रेड्डी एआईआर 2008 एस.सी. 2033</u>** का न्याय दृष्टांत भी अवलोकनीय है। यह आवश्यक है कि उक्त न्याय दृष्टांत में जो मार्ग दर्शित सिद्धांत बताया गया है उनके संबंध में लागू किया जावेगा। जो निम्नानुसार है।

" To Summarize, the position in regard to suits for prohibitory injunction related to immovable property, is as under:

(a) Where a cloud is raised over plaintiffs title and he does not have possession, a suit for declaration and possession, with or without a consequential injunction, is the remedy. Where the plaintiff's title is not in dispute or under a cloud, but he is out of possession, he has to sue for possession with a consequential injunction. Where there is merely an interference with plaintiff's lawful possession or threat of dispossession, it is sufficient to sue for as injunction simpliciter.

(b) As a suit for injunction ill be simpliciter is concerned only with possession, normally the issue of title will not be directly and substantially in issue. The prayer for injunction will be decided with reference to the finding on possession. But in cases where de

jure possession has to be established on the basis of title to the property, as in the case of vacant sites, the issue of title may directly and substantially arise for consideration, as without a finding thereon, it will not be possible to decide the issue of possession.

(c) But a finding on title cannot be recorded in a suit for injunction, unless there are necessary pleadings and appropriate issue regarding title (either specific, or implied as noticed in **Annaimuthu Thevar [supra] 2005 AIR SCW 3516)**. Where the averments regarding title are absent in a plaint and where there in no issue relating to title, the court will not investigate or examine or render a finding where there are on a question of title, in a suit for injunction. Even where there are necessary pleadings and issue, if the matter involves complicated question of fact and law relating to title, the court will relegate the parties to the remedy by way of comprehensive suit for declaration of title, instead of deciding the issue in a suit for mere injunction.

(d) Where there are necessary pleadings regarding title, and appropriate issue relating to title on which parties lead evidence, if the matter involved is simple and straight-forward, the court may decide upon the issue regarding title, even in a suit for injunction. But such cases, are the exception to the normal rule that question of title will not be decided in suits for injunction. But persons having clear title and possession suit for injunction, should not be driven to the costlier and more cumbersome remedy of a suit for declaration, merely because some meddler vexatiously or

wrongfully makes a claim or tries to encroach upon his property. The court should use its discretion carefully to indentify cases where it will enquire into title and cases where it will refer to plaintiff to a more comprehensive declaratory suit, depending upon the facts of the case.

22. उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में यदि वर्तमान मामले को देखा जावे तो यह स्पष्ट है कि जब वादी के स्वामित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ हो तो उसे केवल स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने के संबंध में दावा पेश नहीं करना चाहिये। बल्कि अपने स्वामित्व को भी प्रमाणित करना चाहिये और स्वामित्व के संबंध में भी घ ोषण की प्रार्थना करनी चाहिये। वर्तमान मामले में यह निर्विवादित है कि वादी द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के संबंध में कोई सहायता नहीं चाही गई है। वादी द्वारा स्वामित्व रामदयाल से प्राप्त होना बताया गया है और कहा है कि उसने विक्रय पत्र प्रदर्श पी 1 के माध्यम से सम्पत्ति रामदयाल से क्रय की थी। **''Nemo dat quad non habat''** के विधिक सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपने से अधिक चाहा स्वत्व किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांरित नहीं कर सकता अर्थात यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति क्रय करता है तो विक्रेता केवल वही अधिकार अंतरित कर सकता है जो उसके पास मौजूद थे और क्रेता को भी केवल वही अधिकार प्राप्त होंगे जो पूर्व में विक्रेता के पास मौजूद थे। विक्रेता के पास जो अधिकार थे वे क्या थे यह साक्ष्य की विषय वस्तु है।

23. जहां तक इस बात का प्रश्न है कि राजस्व अभिलेखों में वादिया के नाम का उल्लेख है तो राजस्व अभिलेखों के इंद्राज की साक्षी को साक्षीय मूल्य के संबंध में **यूनियन ऑफ इंडिया विरूद्ध बसाबी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड (2014) 2 एस.सी.सी. 269** के न्याय दृष्टांत के अनुसार " It is settled law that mutation entries are only for the purpose of enabling the State to collect the land revenue from the person in possession but it does not confer any title to the land. The title would be derived from an instrument executed by the owner in favour of an alienee as per the

Stamp Act and registered under the Registration Act. Even if the suit property has been mutated in favour of defendant, the case of the plaintiff which is based on title cannot be adversely affected as the mutation is not proof of title. **Revenue record is not a document of title**. It merely raises a presumption of possession u/s. 110 of the Evidence Act."

24. इसके अतिरिक्त जहां तक दोनों पक्षों द्वारा अपनी साक्ष्य दी गई है तो धारा 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार यह महत्वहीन हो जाता है कि किस पक्ष को क्या तथ्य प्रमाणित करना है। सिविल मामले में जिस पक्ष द्वारा जो अभिवचन किया गया है उन्हे प्रमाणित करने का भार उस पक्ष पर रहता है। वादी द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि विवादित सम्पत्ति उसने रामदयाल से क्रय की थी और रामदयाल सम्पत्ति का स्वामी है तो वादी को यह भी प्रमाणित करना था कि रामदयाल किस प्रकार विवादित भूमि का स्वामी बना था। सम्पत्ति के सोर्स ऑफ टाईटल के अभाव में रामदयाल का स्वामित्व प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि यह मान भी लिया जावे कि वादी ने रामदयाल से सम्पत्ति क्रय की थी तो रामदयाल से सम्पत्ति को उक्त सम्पत्ति विक्रय करने का अधिकार था या नहीं था, यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। वादी का कहना है कि रामदयाल को उसने खेती करते हुये देखा था और राम दयाल भूमि पर खेती करता था। ममता (ब.सा. 1) ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 8 में बताया है कि विवादित भूमि उसने अपने ककिया ससुर रामदयाल से खरीदी है और वह उसे नहीं पता कि रामदयाल को जमीन सरकारी पट्टे पर मिली थी या नहीं। पूर्व मे रामदयाल भूमि पर खेतीबाड़ी करता था। इस प्रकार रामदयाल को सम्पत्ति कहा से प्राप्त हुई थी यह वादी की जानकारी में नहीं है। भैयन (ब.सा. 2) ने भी अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 6 में कहा है कि उसे नहीं पता कि रामदयाल के पास विवादित जमीन कहा से आयी थी और ममता उसकी मामी है।

25. विपरीत में प्रतिवादी का कहना है कि उक्त भूमि वन विभाग की भूमि है और इसके संबंध में वन विभाग से संबंधित दस्तावेजों में भी भूमि वन विभाग की होना बताया गया है। भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 में यह निर्धारित करती है कि

कौन सी सम्पत्ति वन की सम्पत्ति कहलायेगी और प्रस्तावित वन को आरक्षित वन घ ोषित करने की अधिसूचना किन घटनाओं के अंतर्गत की जायेगी। इसके साथ ही **मध्यप्रदेश अधिनियम कमांक 9 वर्ष 1965 की धारा 20 (अ)** को प्रस्तापित किया गया है। जिसके अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये ''आरक्षित वन वे मानेय जायेगे –

1. प्रश्नास्पद मामले में प्रभावशील इस अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम, आदेश या अधिसूचना के अभाव में किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के विपरीत होते हुये भी उपधारा 1 में वर्णित कोई विधान के रिवाज नियम, विनियम, आदेश या अधिसूचना विधिवत प्रभावशील उसी तरह मानी जावेगी जैसा कि वे नियम, आदेश, अधिसूचना इस नियम के अंतर्गत ही बनाये गये है और वे तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तब की उन्हें निरस्त, परिवर्तित या स्थिर विधिवत न किया जाये।

2. उल्लेखित कोई रिपोर्ट, कार्य आयोजन या पंजी में उसमें कोई प्रविष्टी के संबंध में विवाद, व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, बर्शत कि राज्य शान यह प्रमाणित न कर दे कि आदेश रिपोर्ट, कार्य आयोजन या पंजी, कथित शासन के प्राधिकारों के अंतर्गत विलय तिथि के पूर्व तैयार किये गये है और उसके बाद राज्य शासन द्वारा उसके प्राधिकारों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है और अविरल एवं प्रचलित है।

3. सविलय राज्य मामलों में ग्राम वन, संरक्षित वन, या आरक्षित वन, तथा अन्य कोई किसी नाम से ज्ञात या स्थानीय नाम से ज्ञात मान्यता प्राप्त वन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित वन माने जायेगे। पूर्व में उल्लेखित उपधाराओं के अंतर्गत कार्य आवश्यक प्रावधान सहित प्रभावित होगे।

स्पष्टीकरण कमांक– 1 कार्य योजना से तात्पर्य कोई कार्य योजना प्रयोजन, प्रोजेक्ट, नक्शे, चित्र एवं अभिन्यास से है जो वन के कार्य या प्रबंधन के दौरान कार्यवाही को सम्पूर्ण करने के लिये तैयार किया गया है।

स्पष्टीकरण कमांक – 2 ....
स्पष्टीकरण कमांक – 3 ....
स्पष्टीकरण कमांक – 4 एकीकृत राज्य से मध्यप्रदेश राज्य, राजस्थान, मध्यभारत राज्य, विंध्यप्रदेश और भोपाल राज्य जो 01.11.1956 के पूर्व विद्यमान थे होगा।

26. उपरोक्त विधि के अनुसार यह स्पष्ट है कि आरक्षित वन की श्रेणी में यदि राज्य शासन चाहे तो किसी अधिसूचना के माध्यम से यह निर्धारित कर सकता है कि कौन–कौन सी भूमि आरक्षित वन की श्रेणी में आती है। प्रतिवादी की ओर से जो प्रदर्श डी 2 की अधिसूचना कमांक एफ–5–38–87–दस–3(1 एस.) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की उपधारा 1 की शक्तियों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य पत्र दिनांक 18 दिसंबर 1987 को जारी अनुसूची के अनुसार जिला छतरपुर अनुविभागीय बिजावर के कौन–कौन से वन खंड और उनके कितने क्षेत्रफल आरक्षित वन के रूप में माने जायेगे, यह बताया गया है। उक्त अधिसूचना प्रदर्श डी 2 के रूप में प्रस्तुत भी की गई है और उक्त अधिसूचना के सिविल कमांक 95 पर ग्राम जरा की 8571.52 एकड़ भूमि को वन भूमि होना दर्शाया गया है। मध्यप्रदेश शासन को यह अधिकार है कि वह कौन से ग्राम की कौन सी भूमि को वन भूमि दर्शाती है और उक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम जरा में 8571.52 एकड़ की भूमि को वन भूमि होना दर्शाया गया था।

27. इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की ओर से बकस्वाहा रेंज के ग्राम बिरगाह, कुही एवं ग्राम जरा के कौन–कौन से खसरे कमांक और उनके रकबे के संबंध में 'District Compatment Register' प्रदर्श डी 1 का भी पेश किया गया है जिसमें ग्राम जरा के सर्वे कमांक 476 के सम्पूर्ण रकबा 2.29 हैक्टेयर की भूमि उल्लेखित किया गया है जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि सर्वे कमांक 476 रकबा 2.29 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि वन विभाग की भूमि है। इसके अतिरिक्त जो वर्किंग प्लान प्रदर्श डी 4 का भी पेश किया गया है उसमें भी वन कक्ष कमांक 284 एवं 286 में ही सर्वे कमांक 476 का सम्पूर्ण रकबा मौजूद है यह दर्शित होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके अनुसार विवादित भूमि को ही आरक्षित वन के अंतर्गत रखा गया था। जिसका उल्लेख वन विभाग के दस्तावेजों में भी है।

28. जहां तक इस बात का प्रश्न है कि राजस्व अभिलेखों में रामदयाल और उसके पश्चात वादिया ममता का नाम दर्ज है और उसका नामांतरण भी हुआ है तो विधि इस संबंध में स्थापित है कि राजस्व अभिलेखों के इंद्राज को मध्ययप्रदेश भू

राजस्व संहिता की धारा 117 के अंतर्गत सही मानने की उपधारणा की जायेगी परंतु उक्त उपधारणा खंडनीय उपधारणा है और यदि स्पष्ट साक्ष्य उक्त उपधारणा के विरूद्ध पेश की जाती है तो राजस्व अभिलेख के इंद्राज को सही नहीं माना जायेगा।

29. तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि वर्ष 1991 में राजस्व अभिलेखों में रामदयाल का नाम दर्ज था तो भी प्रदर्श डी 2 की अधिसूचना के अनुसार जिस भूमि पर रामदयाल का नाम दर्ज होना बताया गया है उसके संबंध में दिनांक 18 दिसंबर 1987 को मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचना के माध्यम से भूमि को वन विभाग की भूमि घोषित किया गया था। ऐसी दशा में रामदयाल के पास विवादित भूमि के संबंध में कोई अधिकार शेष नहीं थे और जब रामदयाल के पास कोई अधिकार नहीं थे तो वह किसी अधिकार को अंतरित कर ममता को भी प्रदान नहीं कर सकता था इसलिये विक्रय पत्र प्रदर्श पी 1 के माध्यम से ममता को विवादित भूमि के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त हुये हो यह नहीं माना जा सकता।

30. अभिलेख पर आई मौखिक साक्ष्य के संबंध में ममता यादव (ब.सा. 1) ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में से नाला निकला है और जंगली जानवर रहते है और पद क्रमांक 12 में कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि विवादित खसरे कक्ष क्रमांक 284 और 286 के मध्य स्थित है। वह विक्रय पत्र के गवाहों के नाम नहीं बता सकती न ही जमीन खरीदने की तारीख बता सकती है। मउआ के 10—20 पेड़ विवादित जमीन पर लगे है। वह नहीं बता सकती कि पेड़ कितने पुराने है। विवादित जमीन पर शेर, तेंदूआ और भालू आते रहते है। भैयन (ब.सा. 2) अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि उसने बता दिया था कि उक्त जमीन जंगल की जमीन है जिस पर ममता कब्जा किये है। साक्षी ने कहा है कि वह नहीं बता सकता कि विवादित जमीन पर वन विभाग का कब्जा है या नहीं और स्वतः कहा है कि जंगली जानवर आते है। इस प्रकार साक्षी ममता के कब्जे के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं करता है और जंगली जानवर की मौजूदगी भी विवादित जमीन पर बताता है। ऐसी दशा में वादी साक्षीगण के कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित जमीन पर पेड़—पौधे लगे हुये है, जंगली जानवर भी आते है, वहां नाला भी बना हुआ है। पेड़ पौधों के मामले में प्रतिवादी की

ओर से प्रदर्श डी 3 की मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 1997 पेश की है। जिसके अनुसार वन की परिधि में वह स्थान भी आते है जहां खेती नहीं हुई है और जो वृक्षों एवं झाड़ी आदि से आच्छादित हो निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शब्दकोषीय अर्थ के रूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाते हुये 10 हैक्टेयर और उससे बाद के चक्र को जहां औसतन 200 एकड़ या अधिक वृक्ष प्रति हैक्टेयर हो उसे वन माना जावेगा। जिससे यही दर्शित होता है कि उक्त भूमि पर कोई खेती नहीं होती है बल्कि पेड़ पौधे लगे हुये है और उसे वन की श्रेणी में रखा जा सकता है।

31. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि वादी के विक्रय पत्र एवं नामांतरण की कार्यवाही को वन विभाग की तरफ से कोई चुनौती नहीं दी गई है और इतने लंबे समय तक चुनौती क्यों नही दी गई। इसका कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। जबकि प्रतिवादी आर.एन पटैल (प्र.सा. 1) ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 10 में यह बताया है कि रामदयाल ने जब ममता को जमीन बेची थी तब मामला विभाग के संज्ञान में नहीं था। इसलिये विक्रय पत्र के समय और नामांतरण के समय चुनौती नहीं की गई। इसलिये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क भी विधि सम्मत नहीं है। क्योंकि जब तक विभाग के संज्ञान में कोई बात नहीं आयेगी तब तक उसे चुनौती दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसके अतिरिक्त विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय के पद क्रमांक 14 में वन विस्थापन अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश की सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति के आधार पर जो निष्कर्ष दिया है वह भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सर्वप्रथम तो उक्त दस्तावेज छाया प्रति है , उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित या प्रमाणित भी नही किया गया है। तब ऐसी दशा में उक्त दस्तावेज के आधार पर कोई निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है और विचारण न्यायालय द्वारा जो प्रदर्श डी 1 लगायत 4 के दस्तावेजों के संबंध में यह निष्कर्ष दिया है कि विवादित भूमि वन भूमि की सीमा के अंतर्गत आती है या नहीं इस संबंध में दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं होता। वह निष्कर्ष भी स्वीकार योग्य नहीं है।

32. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि विवादित भूमि आरक्षित वन की भूमि है और उस पर वादी का कोई कब्जा भी नहीं है। इसलिये

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष विवादित भूमि के संबंध में वादी के हित में दिया गया था वह तथ्यात्मक रूप से एवं विधिक रूप से उचित नहीं है तथा उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये निर्णय एवं आज्ञप्ति को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है।

निम्नानुसार रूप से जयपत्र तैयार किया जावे :—

अ. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 476 रकबा 0.930 हैक्टेयर स्थित ग्राम जरा पटवारी हल्का नंबर 76 तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर म.प्र. पर वादी का कोई आधिपत्य नहीं है इसलिये उसके हित में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है।

ब. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

स. अधिवक्ता शुल्क मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियमावली एवं आदेश के नियम 179 सहपठित नियम 523—535 के अनुसार या प्रमाणित किये जाने पर जो भी कम हो अदा की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

(मनीष शर्मा)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मनीष शर्मा)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0